



ICAR-NATIONAL RESEARCH CENTRE ON SEED SPICES

TABIJI, AJMER (RAJ)-305 206

Tel No:0145-2684401, Fax No: 0145-2684417



फा.स.: 4-635/2026-P&S

दिनांक : 18.09.2026

“कृषक भागीदारी बीज उत्पादन” कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव

इस केन्द्र द्वारा सभी योग्य किसानों से “कृषक भागीदारी बीज उत्पादन” 2026-27 कार्यक्रम के अंतर्गत **बीजीय मसाला फसलों** के उत्पादन हेतु निर्धारित प्रपत्र में दिनांक **09.10.2026** को अपराह्न **02:00 बजे** तक प्रस्ताव आमंत्रित किये जाते हैं जो कि उसी दिन अपराह्न **03:00 बजे** खोले जावेंगे। इच्छुक किसान इस संबंध में विस्तृत जानकारी, पात्रता, प्रपत्र हेतु केन्द्र या वेबसाइट— <https://nrcssajmer.org.in> (under Download > Tender) का अवलोकन करें।

(प्रभारी)

कृषक भागीदारी बीज उत्पादन



भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र तबीजी, अजमेर—305206

Tel No: 0145-2684401, Fax No:2684417, Website : www.nrcssajmer.org.in

फा.सं. : 4-635/2026-P&S

दिनांक : 18.09.2026

‘कृषक भागीदारी बीज उत्पादन’ कार्यक्रम के नियम एवं शर्तें

भा.कृ.अ.प.—राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, तबीजी, अजमेर द्वारा “कृषक भागीदारी बीज उत्पादन कार्यक्रम” के अंतर्गत बीजीय मसाला फसलों के टीएफएल बीज उत्पादन हेतु इच्छुक किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। बीज उत्पादन कार्यक्रम के नियम एवं शर्तें निम्नानुसार हैं:-

1. इच्छुक किसान इस संबंध में संलग्न निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि **09.10.2026** (अपराह्न **02.00** बजे तक) हैं तथा उसी दिन अपराह्न **03.00** बजे आवेदन खोले जायेंगे।
2. कृषक भागीदारी बीज उत्पादन के अंतर्गत बीजीय मसाला फसलों के टीएफएल बीज उत्पादन हेतु किसानों का चयन केन्द्र पर गठित सक्षम समिति द्वारा प्राप्त आवेदनों में से ही किया जायेगा।
3. सक्षम समिति द्वारा किसानों का चयन उनकी बीज उत्पादन में अनुभव, जरूरी उपलब्ध संसाधन तथा मिट्टी की गुणवत्ता के आधार पर किया जायेगा तथा इसका सम्पूर्ण अधिकार संबंधित समिति का होगा जिसे कहीं भी चुनौती नहीं दी जा सकेगी।
4. बीजीय मसाला फसलों के बीज उत्पादन हेतु निम्नलिखित मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो कि सभी चयनित किसानों को माननी होगी-

अ. पिछले 2 वर्षों में उस प्रक्षेत्र पर वही फसल/किस्म नहीं लगाई गई हो।

ब. बीज उत्पादन प्रषेत्र से किसी अन्य प्रषेत्र जिसमे समान फसल/किस्म लगी हो, की पृथक्करण दूरी कम से कम 400 से 800 मीटर तक की होनी चाहिए।

5. आवेदन प्रपत्र में किसान द्वारा इच्छित फसल, प्रक्षेत्र तथा अन्य जानकारी देनी होगी एवं गलत जानकारी देने पर संबंधित किसान का बीज उत्पादन कार्यक्रम किसी भी चरण में रद्द कर दिया जायेगा जिसके लिए किसान स्वयं जिम्मेदार होगा।
6. चयनित किसानों को उनके प्रक्षेत्र में बीज उत्पादन हेतु उचित किस्म का बीज संस्थान से ही स्वयं की लागत पर खरीदना होगा।
7. टीएफएल बीज उत्पादन केन्द्र गठित समिति की देखरेख एवं निर्देशन में किया जायेगा तथा समय-समय पर बीज उत्पादित क्षेत्र का समिति द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।
8. निरीक्षण के दौरान यदि बीज उत्पादन प्रषेत्र में कोई दूसरी फसल/किस्म/खरपतवार के पौधे पाए जाते हैं तो किसान को इन अवांछनीय पौधों को हटाना होगा तथा इसके अतिरिक्त बीज उत्पादन समिति द्वारा दिये गये अन्य दिशा निर्देश (जैसे रोगिंग, कीट/रोग नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण तथा पोषण तत्त्व प्रबंधन) को किसान द्वारा मान्य करना होगा।
9. उक्त बीजोत्पादन कार्य किसान द्वारा निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए तथा किसी भी प्रकार की आपदा, अतिवृष्टि, अल्पवृष्टि आदि से बीजोत्पादन प्रभावित होने पर किसी भी प्रकार का मुआवजा केन्द्र द्वारा नहीं दिया जाएगा।
10. संबंधित किसान को फसल से संबंधित विभिन्न कार्यों की सूचना समय-समय पर केन्द्र को देनी होगी।
11. उत्पादित बीज के थ्रेसिंग के पश्चात बीज का नमूना केन्द्र को भेजना होगा जिसका सक्षम समिति द्वारा/प्रयोगशाला में निरीक्षण किया जायेगा तथा गुणवत्ता के आधार पर नमूना पास होने के तदुपरांत ही बीज की खरीद की जायेगी।

12. किसान को कटाई तथा सफाई उपरांत पैदा किए गए बीजों को केन्द्र तक स्वयं के खर्च पर पहुंचाना होगा। इसके लिए केन्द्र द्वारा कोई भी वित्तीय सहायता नहीं दी जायेगी।
13. केन्द्र पर लाये गये बीज की तुलाई के पहले प्रारंभिक सफाई करवाई जायेगी तथा सफाई में निकला हुआ कचरा/ हल्का बीज किसान को वापस दे दिया जायेगा।

उत्पादित बीज का खरीद मूल्य केन्द्र द्वारा आस-पास की मण्डीयों के 30 दिन की अवधि के उच्चतम खरीद मूल्य के औसत के आधार पर निर्धारित किया जायेगा, जो कि किसान द्वारा मान्य होगा।

➤ **Cumin (जीरा), Coriander(धनिया), Nigella (कलेंजी) & Fenugreek (मेथी)** हेतु : (30 दिन की अवधि : 15 अप्रैल से 15 मई)

➤ **Fennel(सौंफ), Dill(सोआ) & Ajwain(अजवायन)** हेतु : (30 दिन की अवधि : 1 मई से 30 मई)

14. खरीद मूल्य के दर की जानकारी का स्रोत भारत सरकार का ऑनलाइन पोर्टल <https://agmarknet.gov.in/> होगा। तथा अन्य कोई भी स्रोत सक्षम समिति द्वारा मान्य नहीं होगा।
15. केन्द्र द्वारा क्रय किये गये बीजों की जाँच प्रयोगशाला में की जायेगी तथा जिन किसानों का बीज गुणवत्ता मानकों को पूरा करेगा उन किसानों को क्रय मूल्य का 10 से 15 प्रतिशत की सीमा में अतिरिक्त बोनस भी प्रदान किया जाएगा तथा बोनस प्रतिशत का (10-15 प्रतिशत की सीमा में) निर्धारण बीज उत्पादन समिति द्वारा बीज की खरीद के बाद निर्धारित किया जायेगा।
16. बीज की खरीद के समय बीज की गुणवत्ता को पहले लिए नमूने से मिलान किया जायेगा और यदि बीज की गुणवत्ता खराब पायी जाती है तो उस बीज को संस्थान खरीदने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसान को वो बीज वापस अपने खर्च पर ले जाना होगा और संस्थान किसी भी प्रकार के अन्य भुगतान (किराया, भाडा, मजदूरी और अन्य खर्च) हेतु जिम्मेदार नहीं होगा।
17. बीज उत्पादन कार्यक्रम के दौरान किसान किसी भी कार्य के लिए संस्थान को बाध्य नहीं कर सकता तथा इस कार्यक्रम की प्रत्येक गतिविधि पर सम्पूर्ण नियंत्रण का अधिकार केन्द्र के पास सुरक्षित रहेगा और केन्द्र को किसी भी समय, चुने गए किसानों को इस कार्यक्रम से विच्छिन्न करने का अधिकार होगा।
18. किसान द्वारा बीजीय मसाला फसलों के टीएफएल बीज उत्पादन हेतु आवेदन प्रपत्र के साथ भूमि पर स्वयं के मालिकाना हक के संबंध में दस्तावेज/जमाबंदी, बैंक का विवरण तथा फोटो पहचान पत्र की प्रतियां संस्थान में जमा करवाने होंगे।

(प्रभारी- कृषक भागीदारी बीज उत्पादन/ I/c FPSP)

संलग्न : आवेदन हेतु 'प्रपत्र मय Undertaking'

[सन्दर्भ: 4-635/2026-P&S, दिनांक: 18.09.2026]

‘कृषक भागीदारी बीज उत्पादन’ कार्यक्रम हेतु ‘प्रपत्र’

सेवा में,
निदेशक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र,
तबीजी, अजमेर-305206.

PHOTO

(कृपया अपना
नवीनतम फोटो
यहाँ चिपकाये)

क्र.सं.	मानदण्ड	प्रत्युत्तर
1	किसान / व्यक्ति का नाम	
2	मोबाइल नम्बर	
3	आधार नम्बर (UIDAI- AADHAR no.)	
4	जन्म दिनांक	
5	पिता का नाम	
6	पूर्ण पता	
7	प्रक्षेत्र/भूमि का क्षेत्रफल जिस पर उसका मालिकाना हक हो (ऐरिया)	
8	प्रक्षेत्र/भूमि पर पानी की उपलब्धता (हाँ/नहीं)	
9	पिछले 3 वर्षों में फसलोत्पादन (मात्रा) (कि.ग्रा.)	वर्ष 2025 में
		वर्ष 2024 में
		वर्ष 2023 में
10	बैंक अकाउंट नंबर (स्वयं का)	
11	बैंक का नाम	
12	बैंक शाखा का पूर्ण पता	
13	बैंक शाखा का IFSC No.	
14	प्रस्तावित प्रक्षेत्र/भूमि का क्षेत्रफल जिस पर “बीजीय मसाला फसल” लगायी जा सकती है।	
15	अन्य वांछित सूचना (यदि कोई हो)	

(कृपया उपर्युक्त प्रपत्र तथा **Undertaking** पूर्ण रूप से भरकर ‘निदेशक, राष्ट्रीय बीजीय मसाला अनुसंधान केन्द्र, तबीजी, अजमेर-305206’ को संबोधित करते हुए सीलबन्द लिफाफे में केन्द्र को प्रेषित करें)

नोट :-

1. प्रक्षेत्र/भूमि का आकार, जिस पर स्वयं का मालिकाना हक हो, के संबंध में दस्तावेज आवश्यक रूप से संलग्न करें।
2. बैंक अकाउंट के संबंध में पूर्ण विवरण, बैंक पासबुक की फोटोकॉपी तथा रद्द चैक की फोटोकॉपी के साथ आवश्यक रूप से संलग्न करें।
3. किसान द्वारा संलग्न **Undertaking** प्रपत्र भी भरकर जमा कराया जाना चाहिए।

दिनांक :

(किसान/व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान)

[सन्दर्भ: 4-635/2026-P&S, दिनांक: 18.09.2026]
‘कृषक भागीदारी बीज उत्पादन’ कार्यक्रम हेतु

UNDERTAKING
(किसान द्वारा भरा जाये)

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर (हां / नहीं)
1	किसान के पास अच्छे बीजों के उत्पादन हेतु सभी संसाधन उपलब्ध होने चाहिए।	
2	किसान को बीजीय फसल तथा अनाज वाली फसल के मध्य अंतर ज्ञात होना चाहिए तथा फसल की अच्छी जानकारी होनी चाहिए।	
3	किसान द्वारा बीजों का क्रय इस संस्थान से किया जायेगा तथा किसानों द्वारा सभी कार्यक्रम निर्देशानुसार किया जाना चाहिए।	
4	किसान द्वारा निगरानी के समय दिये गये निर्देशों यथा रफ़िग, हानिकारक खरपतवार को हटाना, कीटनाशक का छिड़काव आदि की तुरंत पालना की जाना चाहिए।	
5	किसान द्वारा इस केंद्र द्वारा ‘कृषक भागीदारी बीज उत्पादन’ कार्यक्रम हेतु वर्तमान में जारी नियम एवं शर्तें भली प्रकार से पढ़ ली गयी है एवं स्वीकार्य है।	

दिनांक :

किसान/व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठा का निशान
एवं नाम